

13/2019

विशेष विवरण

आज्ञा विस्तृत रूप से

आज्ञा वा सर्ववाही

यह जापान पत्र राजस्थान सरकार
परिचय तहसीलदार जयवारागढ़ की
ओर से कलशदा धारा 136 CR
Act के तहत पेय विभाग जापान
पत्र पत्र संज्ञाएत हो लक्ष्मी कृष्णदेव
की जारी होकर पत्राली दिनांक
12/4/19 को पेय हो

नेची/पत्र
2059-83
5/4/19

14/19

पत्राली पेय डूडी परीकार
साफत उपर/ जारी लेख लक्ष्मी
होकर जापान की डूडी डूडी
लेख हो दिनांक 16/4/19 को
पेय हो

उपखण्ड अधिकारी
जयवारागढ़

16/4/19

पत्राली पेय डूडी परीकार
साफत उपर/ जारी लेख लक्ष्मी
संगीराज की ओर से एडो श्री
सचपपाल अर्कत से जयवारागढ़
पेय विभाग साफ ही पत्राली पर
मय साफत फ्लेग पेय विभाग को
शाब्दिक रहे पत्राली दिनांक 10/3/19
को पेय हो

उपखण्ड अधिकारी
जयवारागढ़

10/3/19

पत्राली पेय डूडी परीकार लक्ष्मी
ए एडो श्री सचपपाल अर्कत उपर
परीकार सरकार ने प्रस्तुत बादा
जापान पत्र में अतिरिक्त विभाग के
वर्तमान में संगीराज को कार्य
पत्र रहे है संगीराज के
केशव राम अर्कत तहसील जयवारागढ़
के प्रमाणनी अर्कत 2012-2015 के
शर्तों के जांच की गई तो पाया
कि शर्तों पर 134 के अर्कत 159
अर्कत 4-6300 एडो में रखे जाते है

उपखण्ड अधिकारी
जयवारागढ़


उपखण्ड अधिकारी
जयवारागढ़

फर्द अहकाम

सरकार बनाम राजस्थान

नाम न्यायालय

केस संख्या 43/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>हिस्से सही दर्ज नहीं हैं उक्त श्रम सं. 3 के सं. नं. 129 कुल रकम 18 लाख 6 हजार का मिलाज मिलान बन्दोबस्त सन्त 2021 से मिलाज करने पर उक्तानुसार हिस्सा सही दर्ज नहीं हो कर हिस्सा सही पर करण हेतु निवेदन किया जावे।</p> <p>हजार पत्रपत्नी का कवल्लेका व प्रमाण प्रमाणिक व काउन्सिल पर विचार किया कवल्लेका काजे पर राज्य सरकार की योजना DILRMP व RT Act की धारा 80 के तहत तहसीलदार की फर्द मॉक रिपोर्ट 08/11/19 के तहत दिया करण के क्रम में तहसीलदार धनपुरागञ्ज के लिए लिखे है तहसीलदार धनपुरागञ्ज तदनुसार बाजार मिलाज में करण करे।</p> <p>निवेदन व फर्द मॉक रिपोर्ट दिनांक 08/11/19 की जरी तहसीलदार धनपुरागञ्ज के निवेदन जावे।</p> <p>पत्रपत्नी फेराल शुमार हेकर नगर से काठ हो। चाड बाजे वाली उपर हो।</p> <p>निवेदन शुमार बाजा।</p> <p style="text-align: right;">  सप्लाइड अधिकारी धनपुरागञ्ज </p>

